



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 07.04.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 77/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में नामजद/वांछित अभियुक्त 1.आशीष यादव पुत्र शेर सिंह यादव निवासी मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ को मुखविर की सूचना पर जिला जेल चौराहा के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आशीष यादव पुत्र शेर सिंह यादव निवासी मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- अभियुक्त आशीष यादव द्वारा अतिरिक्त दहेज मांग करते हुए वादिनी की पुत्री को प्रताणित करना व मारपीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर वादिया श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी स्व० मलिखान सिंह उर्फ सुलखान सिंह निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक- 09.03.2024 को मु०अ०सं० 77/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम आशीष यादव पुत्र शेर सिंह यादव, 2.ससुर शेर सिंह यादव पुत्र जगदीश सिंह यादव 3.सास श्रीमती मीना देवी पत्नी शेर सिंह यादव, 4.देवर अतुल यादव पुत्र शेर सिंह यादव निवासीगण मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा ग्रहण कर संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में दिनांक- 07.04.2024 को अभियोग में नामजद अभियुक्त आशीष यादव पुत्र शेर सिंह यादव निवासी मोहल्ला जाफरी कोतवाली फतेहगढ़ को मुखविर की सूचना पर जिला जेल चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त आशीष यादव को आपराधिक इतिहास :-

1- मु०अ०सं०- 77/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. म०उ०नि० श्रीमती रक्षा सिंह कोतवाली फतेहगढ़ ।
2. का० कृष्णपाल

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 07.04.2024

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशान, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों व वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी गण का नाम व पता:-

1. मोहम्मद कामिल पुत्र सलीम नि0 2/7 सुतहट्टी निकट घुमना बाजार कोतवाली फर्रुखाबाद ।
2. रीतेश पुत्र देवेन्द्र कुमार नि0 रेशमा कलर नि0 कम्पनी के सामने गली सदवाडा कोतवाली फर्रुखाबाद ।
3. अनिल कुमार गुप्ता पुत्र शिवशंकर नि0 चीनीग्राम कोतवाली फर्रुखाबाद ।
4. कौशल किशोर उर्फ पप्पू पुत्र जुगल किशोर नि0 बागरूस्तम कोतवाली फर्रुखाबाद ।
5. देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामसिंह नि0 सिन्धी कालोनी सरदार खां कोतवाली फर्रुखाबाद ।
6. दिलीप कुमार पुत्र श्री मुन्नालाल नि0 दरीबा पश्चिम कोतवाली फर्रुखाबाद ।
7. सुखवासी पुत्र भजनलाल नि0 अंगुरीबाग कोतवाली फर्रुखाबाद ।
8. इन्तिजार अली पुत्र इशितयार अली नि0 जंगबाज खां कोतवाली फर्रुखाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार
2. उ0 नि0 यतेन्द्र सिंह
3. उ0 नि0 आशु कुमार
4. उ0 नि0 राजेश कुमार गौतम
5. उ0 नि0 राहुल कुमार
6. का0 अंकित पवार
7. का0 वीरेन्द्र सिंह
8. हेड का0 सुनील कुमार
9. का0 अनिल

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 07.04.2024

मु0अ0सं0 41/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर संजीव पारिया व अपने सह सदस्य अनुपम दुबे व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिजनों के नाम अवैध सम्पत्तियों की कुर्की के क्रम में दिनांक 23.03.24 को कुर्क किये गये कुल 13 वाहनों में से 05 वाहन कीमत करीब “उन्नीस लाख रुपये” को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर थाना मऊदरवाजा परिसर में खड़ा कराया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1.संजीव पारिया पुत्र अहुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्डग्रान्ट बंगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ 2.अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द दुबे निवासी मोहल्ला कसरड़ा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ स्थायी पता – ग्राम सहसापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 3.शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सांताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कदरीगेट जनपद फतेहगढ़ की विवेचना के क्रम में दिनांक 23.03.2024 को माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सं0 08/2024 दिनांकित 20.03.2024 के द्वारा उक्त अभियुक्तों व उनके परिजनों की करीब “पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रुपये छियासी पैसे” की सम्पत्तियां प्रशासनिक अधिकारीगण व पर्याप्त पुलिस बल के साथ कुर्क की गयी थी। कुर्क किये गये कुल 13 वाहनों में से 05 वाहन कीमत करीब “उन्नीस लाख रुपये” को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर थाना मऊदरवाजा परिसर में खड़ा कराया गया ।



कुर्की की कार्यवाही के उपरान्त पुलिस कब्जे में लिये गये वाहनों का विवरण:-

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन नम्बर	वाहन का प्रकार	वर्तमान मूल्यांकन
1	श्रीमती माला पारिया पत्नी संजीव पारिया	UP76AC8055	HUNDAI CRETA CAR	7,02,536/-
2	राजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया	UP76E0438	HUNDAI SANTRO CAR XS	46,199/-
3	सोनी पारिया पब्लिक स्कूल कमालगंज प्रबन्धक आशीष पारिया	UP76K4347	BUS (MPV)	3,28,873/-
4	सोनी पारिया पब्लिक स्कूल कमालगंज प्रबन्धक आशीष पारिया	UP76K6490	BUS (HPV)	4,64,904/-
5	सोनी पारिया पब्लिक स्कूल कमालगंज प्रबन्धक आशीष पारिया	UP76K6267	BUS (MPV)	3,54,489/-
कुल योग			18,97,001/- (अठारह लाख सत्तानवें हजार एक रुपये)	

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव पारिया व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियाँ जिसकी कुल कीमत 36,54,58,809.86 (छत्तीस करोड़ चौवन लाख अष्टावन हजार आठ सौ नौ रुपये छियासी पैस) को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा क्रमशः दिनांक 23.03.2024 तथा 28.03.2024 को कुर्क किया गया था। कुर्की की कार्यवाही अन्तर्गत कुल 13 वाहन कुर्क किये गये जिसमें से 5 वाहन सोनी पारिया पब्लिक स्कूल से सम्बन्धित उपरोक्तनुसार को आज दिनांक 07.04.2024 को मऊदरवाजा द्वारा पुलिस कब्जे में लेकर थाना मऊदरवाजा परिसर में खड़ा कराया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण द्वारा अपने व अपने परिवार के नाम अर्जित की गयी अन्य अवैध चल व अचल सम्पत्तियों की शीघ्र ही जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

पुलिस कब्जे की कार्यवाही में लगे पुलिस बल का विवरण:-


1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित गंगवार थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मय हमराह पुलिस बल।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री हरिश्याम सिंह कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मय हमराह पुलिस बल।

मीडिया सेल फतेहगढ़







 **GPS Map Camera**



Mohammadabad, Uttar Pradesh, India
8C5M+VGG, Sankisa Road, Mohammadabad, Uttar Pradesh 209651, India
Lat 27.306992°
Long 79.434316°
07/04/24 06:20 PM GMT +05:30